



(शिक्षा खेलकूद एवं युवा कल्याण)

नगर पालिक निगम भिलाई

शिक्षा:-



नगर पालिक निगम भिलाई के क्षेत्रान्तर्गत जोन 01 से 05 अन्तर्गत स्थित शालाओं की संख्या की स्थिति निम्नानुसार है:-



क्रमांक	शा. प्राथ. शाला	माध्य. शाला	उच्च.माध्य. शाला	कुल
जोन क्रमांक 01	13	09	07	29
जोन क्रमांक 02	09	08	05	22
जोन क्रमांक 03	08	04	02	14
जोन क्रमांक 04	13	09	04	26
जोन क्रमांक 05	04	04	03	11
कुल योग	47	34	21	102



(शिक्षा खेलकूद एवं युवा कल्याण)

नगर पालिक निगम भिलाई

- निगम क्षेत्रान्तर्गत शालाओं के पेय जल व्यवस्था एवं संधारण, पोताई कराये जाकर जीर्णोद्धार किया जाना ।
- शालाओं की भवनों की जर्जर स्थिति का विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए हटाया जाना।
- आत्मानंद स्कूल योजना एवं इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना अन्तर्गत प्रस्ताव बनाया जाना।
- विभिन्न कोर्स अन्तर्गत यथा तकनीकी शाला, कृषि शाला, खेलकूद शाला एवं संगीतकला एवं संस्कृति इत्यादि शालाओं का विकास किया जाना।





(शिक्षा खेलकूद एवं युवा कल्याण)

नगर पालिक निगम भिलाई

खेलकूद:-

- नगर पालिक निगम भिलाई के क्षेत्रान्तर्गत जोन 01 से 05 अन्तर्गत स्थित अविकसित खेल मैदान का विकास किया जाना।
- अर्द्धविकसित खेलकूद मैदानों का चयनलिनक आदि घेराबंदी के साथ पूर्णतया विकास किया जाना।
- खेलकूद मैदान के संचालन एवं संधारण हेतु स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों की समिति का गठन करना।
- खेलकूद मैदान का संचालन एवं संधारण बाह्य एजेंसी के माध्यम से कराया जाना।





(शिक्षा खेलकूद एवं युवा कल्याण)

नगर पालिक निगम भिलाई

युवा कल्याण:-

- प्रदेश की युवा शक्ति को संगठित करने सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलगति विधियों एवं शासन की योजना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए शासन द्वारा एक महत्वकांक्षी योजना राजीव युवा मितान क्लब योजना लागू की गई है।
- राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जाना।
- योजना अन्तर्गत प्राथमिक रूप से जिलाधीश अन्तर्गत समिति का गठन जिलास्तर पर तैयार होना।
- जिला स्तर पर जिलाधीश, कोषालय अधिकारी/वृत्त अधिकारी का संयुक्त चालू बैंक खाता खोला जाना।
- निगम स्तर पर आयुक्त एवं लेखाधिकारी का संयुक्त चालू बैंक खाता खोला जाना।
- क्लब स्तर पर अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का संयुक्त चालू बैंक खाता खोला जाना।





(शिक्षा खेलकूद एवं युवा कल्याण)

नगर पालिक निगम भिलाई

राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य की पात्रता हेतु मापदण्ड :-

- वह छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी (पुरूष/महिला/ट्रांसजेंडर) युवा हो।
- आयु 18 से 40 वर्ष।
- वह अपराधिक प्रवृत्ति का न हो।
- शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता होगी।
- शिक्षा, खेल, समाजसेवा, राजनीति, कौशल में उच्च योग्यता रखने वाले युवाओं को प्राथमिकता होगी।
- एनएसएस/एनसीसी/एनवायके आदि पृष्ठभूमि वाले युवाओं की वरीयता।
- निःशक्तजन युवाओं को वरीयता।
- श्रमदान करने वाले युवाओं को वरीयता।

विशेष टीप:-

- उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन हेतु जोन आयुक्तों द्वारा विधिवत प्रस्ताव शिक्षा खेलकूद एवं युवा कल्याण सलाहकार समिति को प्रेषित किया जावेगा।



(शिक्षा खेलकूद एवं युवा कल्याण)

नगर पालिक निगम भिलाई

धन्यवाद